वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन संबंधी संक्षेपिका

1. वन वृत्त	–	छतरपुर
2. वनमंडल	–	उत्तर सामान्य वनमंडल पन्ना
3. वन परिक्षेत्र	–	अजयगढ़
4. वनखण्ड	–	उदयपुर
5. वनखण्ड का अधिसूचित रकबा	–	2081.00 एकड़ या 842.170 हेक्टेयर
6. वन कक्ष क्रमांक	–	पी–188
7. वन कक्ष का रकबा	–	361.56 हेक्टेयर

8. उल्लंघनाधीन भूमि की वैधानिक स्थिति –**8.1** पन्ना जिला 01 नवम्बर 1956 में म.प्र. राज्य पुनर्गठन के पूर्व रीवा राज दरबार के अन्तर्गत रहा जहां **रीवा फारेस्ट एक्ट 1935** लागू था। उक्त एक्ट की धारा 29 में ऐसी वनभूमि (Forest Land) एवं अनुपयोगी पड़त भूमि वनभूमि (Waste Land) जो आरक्षित वन (Reserve Forest) में शामिल नही थे, को संरक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने की शक्ति राज दरबार के पास निहित थी।

8.2 रीवा राज दरबार की अधिसूचना क्रमांक 124 दिनांक 06 फरवरी 1937– राज दरबार द्वारा ऐंसी वन भूमि एवं पड़त भूमि जो आरक्षित वन में शामिल नहीं थी, को संरक्षित वन घोषित किया गया।

8.3 भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20–अ (4) के तहत् म0प्र0 राज्य में संविलियन के फलस्वरूप रीवा राजदरबार सहित अधिसूचित संरक्षित वन को भारतीय वन अधिनियम के प्रावधानों के तहत् संरक्षित वन माना गया है।

8.4 म.प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक/11000–3046–दस दिनांक 16 अक्टूबर 1967 – संरक्षित वनखण्ड उदयपुर रकबा 842.170 हेक्टेयर को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4(1) के तहत् अधिसूचित किया गया।

8.5 इस प्रकार प्रकरणाधीन भूमि 06 फरवरी 1937 से अधिसूचित संरक्षित वन रहा है। अतः भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 1 की उपधारा (2) के प्रावधान वन भूमि होने के कारण उक्त भूमि पर लागू नहीं होते हैं।

9. परियोजना का नाम	–	मध्यम सिंचाई परियोजना मझगांय।
10. क्रियान्वयन एजेंसी	–	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग पन्ना

11. आवेदन का संक्षिप्त विवरण –

11.1 मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना में उत्तर वनमंडल पन्ना के संरक्षित वन कक्ष क्र0पी–177, पी–181, पी–188, पी–189 एवं पी–190 तथा पन्ना टाईगर रिजर्व के बफर झोन के संरक्षित वन कक्ष क्र0पी–182 की कुल वनभूमि 426.763 हे0 प्रभावित हो रही है।

11.2 आवेदक संस्थान ने दिनांक 07.02.2015 को 426.763 हेक्टेयर वन भूमि के गैरवानिकी उपयोग के लिये आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर कार्यवाही प्रगति पर है।

12. FCA उल्लंघन का संक्षिप्त विवरण– योजना में प्रभावित संरक्षित वन भूमि कक्ष क्रमांक पी–188 में आवेदक संस्थान द्वारा भारत शासन की पूर्व अनुमति के बिना बण्ड निर्माण का कार्य कराया गया है जिस पर वन अपराध प्रकरण क्रमांक/1513/08 दिनांक 09.08.2015 पंजीबद्ध किया गया है।

13.वर्तमान स्थिति –

13.1 आवेदक संस्थान को बिना औपचारिक अनुमति कार्य न करने के निर्देश दिये गये हैं। वर्तमान में मौके पर कार्य बंद है।

13.2 आवेदक संस्थान जल संस्थान संभाग पन्ना द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ऑन लाईन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जो नोडल अधिकारी को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रस्ताव में कुछ आपत्तियां पाई गईं जिसकी पूर्ति की कार्यवाही प्रगति पर है।

वन मंडलाधिकारी
उत्तर सामान्य वनमंडल पन्ना (म.प्र.)